तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुकम मे जारी हुए
16/06/22	**आदेश** वकील वादी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से खातेदारी की घोषणा चाही गई थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 आदुराम फौत हो जाने से उक्त प्रकरण में अब कोई विवाद नही है तथा अब वादी प्रकरण में कोई कार्यवाही नही करवाना चाहता है। लिहाजा प्रकरण को खारिज किये किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से खातेदारी की घोषणा चाही गई थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 आदुराम फौत हो जाने से प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	17/6/22